



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936

No. 615]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015 /PHALGUNA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

**का.आ.808(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगी।

सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
244	चेनानी—शुधमहादेव-गोहा-खेलानी-किस्थवार-सिंथान पास खानबाल खंड (जम्मू और कश्मीर राज्य में)	274 किमी
144ए-	जम्मू-अखनूर खंड (जम्मू और कश्मीर राज्य में)	35 किमी

[फा.सं.एनएच-14013/8/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2015

**S.O. 808(E).** —In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

New National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
244	Chenani-Sudhmahadev-Goha-Khelani-Kishtwar-Sinthan Pass-Khanabal section (In the State of Jammu and Kashmir)	274 kms
144A	Jammu-Akhnoor section (In the State of Jammu and Kashmir)	35 kms

[F. No. NH-14013/8/2014-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Director (P&amp;B)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

**का.आ.809(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिनियम के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ). दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

**उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 31 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-**

तालिका

(1)	(2)	(3)
"31"	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए (किमी 0.00 से 286.000 तक और किमी 303.800 से 534.250 तक छोड़कर), सं. 1 सी, नई रारा सं. 144, नई रारा सं. 301 और नई रारा सं. 444 के उतने ही भाग जो जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित हैं।	जम्मू और कश्मीर राज्य की राज्य सरकार"

[फा.सं.एनएच-14013/8/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**टिप्पणी:** मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.254 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2015

**S.O. 809(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 31 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: .

**TABLE**

(1)	(2)	(3)
“31	So much of new National Highway No. 1A (excluding from km.0.00 to 286.000 and from km. 303.800 to 534.250), No. 1C, new NH No. 144, new NH No. 301 and new NH No. 444 as is situated within the State of Jammu and Kashmir.	State Government of State of Jammu and Kashmir”.

[F. No. NH-14013/8/2014-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Director (P&amp;B)

**Note: -** The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 254 (E), dated the 28th January, 2015.